अनुदान संख्या 1 – कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1–DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2329,49,00		2329,52,00	2167,58,05	–161,93,95
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					144,64,36
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*132,20,00*		*739,39,00*	*183,42,75*	*–555,96,25*
पूरक	*Supplementary*	*607,19,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*555,32,12*
स्वीकृत-	Voted–			126,65,00	92,60,73	–34,04,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					29,98,05

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	3348.00		3060.48	2698.37	–362.11
पु.	R.	–287.52				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	115887.00			
पू.	S.	2.00	130609.90	129456.59	–1153.31
पु.	R.	14720.90			
मुख्य शीर्ष "2402" मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation				
मू.	O.	2764.00			
			1060.84	1043.15	–17.69
पु.	R.	–1703.16			
मुख्य शीर्ष "2425" सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation				
मू.	O.	6325.00			
पू.	S.	1.00	4237.00	4236.15	–0.85
पु.	R.	–2089.00			
मुख्य शीर्ष "2435" अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	11900.00			
			10717.33	10564.56	–152.77
पु.	R.	–1182.67			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	20090.00			
			..	..	..
पु.	R.	–20090.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	71839.00	68192.91	68209.68	+16.77
पु.	R.	–3646.09			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्रकी सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	231.00	72.00	63.00	–9.00
पु.	R.	–159.00			

(I) 35807.10 लाख रु. का प्रावधान (फरवरी, 2004 में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त किए गए 0.10 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 34898.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2401''-

(क) "बीज - बीजों के उत्पादन और संवितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण''- 263.00 लाख रु.;

(ख) "खाद और उर्वरक - जैव खेती के संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना''- 191.00 लाख रु;

(ग) "कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी''-

(i) "अंतरिक्ष कृषि माप-पद्धति और भू आधारित प्रेक्षण का उपयोग करते हुए कृषि उपज का पूर्वानुमान करना''- 143.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.35807.10 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.10 lakh under one head obtained in February, 2004) remained wholly unutilised under thirty seven heads; of these Rs.34898.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2401"-

(a) "Seeds- Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds"- Rs.263.00 lakhs;

(b) "Manures and Fertilizers- National Project on Promotion of Organic Farming"- Rs.191.00 lakhs;

(c) "Agricultural Economics and Statistics"-

(i) "Forecasting Agricultural output Using Space Agro Metrology and Land Based Observation"- Rs.143.00 lakhs;

(ii) ''कृषि सांख्यिकी का सुधार''- 2415.00 लाख रु;

(घ) ''तिलहनों का विकास''-

(i) ''टीएमओपी (मुख्यालय) सहित पीएचटी''- 135.00 लाख रु.;

(ii) ''एकीकृत तिलहन/तेल पाम/दालों और मक्का का विकास''- 365.00 लाख रु.;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2425''-

(क) ''अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता''- 160.00 लाख रु.;

(ख) ''सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम''- 140.00 लाख रु.; और

(गा) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - बाजार, अवसंरचना, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण का विपणन विकास''- 992.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2402'' - ''अन्य व्यय - जम्मू तथा कश्मीर में झेलम, चिनाब और शिवालिक के जलग्रहण क्षेत्रों में विकृत भूमि की पारिस्थितिकी का पुनःस्थापन''- 1600.00 लाख रु. प्रशासनिक व्यय में किफायत बरते जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान''- 20090.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(चा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(ii) “Improvement of Agricultural Statistics”- Rs.2415.00 lakhs;

(d) “Development of Oil Seeds”-

(i) “PHT including TMOP (HQs)”- Rs.135.00 lakhs;

(ii) “Integrated Oilseed/Oilpalm/Pulses and Maize Development”- Rs.365.00 lakhs;

(B) Major Head “2425”-

(a) “Assistance to other Co-operatives - Assistance to N.C.D.C. for Development of Co-operative” -Rs.160.00 lakhs;

(b) “Co-operative Education - Restructured Scheme of Education and Training”- Rs.140.00 lakhs; and

(C) Major Head “2435”- “Marketing and Quality Control- Other Expenditure- Marketing Development of Market, Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation”- Rs.992.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committee.

(D) Major Head “2402” -“Other Expenditure - Eco Restoration of degraded land in catchment of Jhelum, Chenab and Shivalik in J&K”- Rs.1600.00 lakhs - due to economy in administrative expenditure.

(E) Major Head “2552” - “Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim” - Rs.20090.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(F) Major Head “3601”-

(a) “Grants for Central Plan Schemes”-

(i) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में जल प्रबंधन''- 7000.00 लाख रु. राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण थे।

(ii) ''फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - जैव खेती के संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना''- 144.00 लाख रु.;

(ख) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(i) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - राज्यों के लिए कृषि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन''- 450.00 लाख रु.; और

(ii) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालों और मक्का का विकास''- 810.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग'' के अंतर्गत 593.86 लाख रु. की बचत (3068.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय''- 716.20 लाख रु. की बचत (3055.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केन्द्र के कार्य न करने के कारण हुई।

(खा) ''वाणिज्यिक फसलें''-

(क) ''कपास से संबंधित तकनीकी मिशन''- 333.44 लाख रु. की बचत (570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीजों की नई किस्मों के लिए कम दावे किए जाने की वजह से बीज उत्पादन के लिए निर्धारित प्रोत्साहनों की कम मांग होने के कारण हुई।

(i) "Crop Husbandry- Commercial Crops- On farm water management for increasing production" - Rs.7000.00 lakhs - due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments.

(ii) "Crop Husbandry- Manures and Fertlizers - National Project on Promotion of Organic Farming" - Rs.144.00 lakhs;

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(i) "Crop Husbandry - Other Grants - Strengthening/Promotion of IT in Agriculture for States"- Rs.450.00 lakhs; and

(ii) "Crop Husbandry - Development of Oil Seeds - Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development"- Rs.810.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-approval of the scheme by Expenditure Finance Committee.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation" - saving of Rs.593.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3068.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Plant Protection - Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage" - saving of Rs.716.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3055.00 lakhs) was due to non- functioning of Central Integrated Pest Management Centre.

(B) "Commercial Crops"-

(a) "Technical Mission on Cotton"- saving of Rs.333.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.570.00 lakhs) was due to less demands for incentives meant for seed production owing to less claims for new varieties of seeds.

(ख) ''जल विभाजक क्षेत्र विकास परिषद''- 113.42 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययन के पूरा न किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और संगोष्ठी/कार्यशाला आदि आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Watershed Development Council"- saving of Rs.113.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-completion of evaluation studies, non-filling up of vacant posts and non-organising of Seminar/Workshop etc.

(गा) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण''-

(C) "Extension and Farmer's Training"-

(क) ''राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना''- 2094.60 लाख रु. की बचत (3790.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "National Agriculture Technical Project"- saving of Rs.2094.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3790.00 lakhs);

(ख) ''विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण''- 113.93 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Strengthening of Extension Services" - saving of Rs.113.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs); and

(ग) ''कृषि के लिए मानव संसाधन विकास/प्रशिक्षण सहायता''- 590.03 लाख रु. की बचत (1285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Human Resources Development/Training Support for Agriculture" - saving of Rs.590.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1285.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने और साथ ही कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of utilisation certificates and also availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(घ) ''सूचना सहायता/प्रबंध सूचना प्रणाली''- 211.73 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(d) "Information Support /Management Information System"- saving of Rs.211.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to delay in submission of report by Internal Audit.

(ङ) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर यूएनडीपी परियोजना''- 431.23 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(e) "UNDP Project on National Food Security" - saving of Rs.431.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(घा) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - प्रधान फसलों की फसल उत्पादन की लागत का अध्ययन''- 137.90 लाख रु. की बचत (1680.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) "Agricultural Economics and Statistics - Study of Cost of Crops Production of Principal Crops" - saving of Rs.137.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1680.00 lakhs) was due to less requirement of funds from implementing agencies.

(ङ) ''तिलहनों का विकास - त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम''- 103.00 लाख रु. की बचत (203.00 लाख रु.

(E) "Development of Oil Seeds - Accelerated Maize Development Programme (AMDP)"- saving of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(चा) ''बागवानी और वनस्पति फसलें''-

(क) ''राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान''- 5500.00 लाख रु. की बचत (10500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययन पूरा न होने के कारण हुई।

(ख) ''नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान''- 2000.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने और साथ ही उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की वजह से बोर्ड से कम मांग किए जाने के कारण हुई।

(छा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''एमआईएस/पीएसएस के लिए नेफेड को अनुदान''- 13802.00 लाख रु. की बचत (29402.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेफेड से प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''कृषि आयोजना और प्रबंधन''- 579.33 लाख रु. की बचत (910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा अध्ययन का चरण III बंद कर दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण''- 1248.77 लाख रु. की बचत (3050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) ''कृषि चिकित्सालय/कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना''- 2650.05 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''कृषि सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन''- 298.51 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

of Rs.203.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims.

(F) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(a) "Grants-in-aid to National Horticulture Board" - saving of Rs.5500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10500.00 lakhs) was due to non- completion of evaluation studies.

(b) "Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut"- saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to less demands from the Board owing to availability of unspent balance of previous year and also non-furnishing of utilisation certificates.

(G) "Other Expenditure" -

(a) "Grant to NAFED for MIS/PSS" - saving of Rs.13802.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29402.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement from NAFED.

(b) "Planning and Management of Agriculture" - saving of Rs.579.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.910.00 lakhs) was due to discontinuation of Phase III of study by Expenditure Finance Committee.

(c) "Supplementation/Complementation of States efforts through Work Plan (Macro-Management)" - saving of Rs.1248.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3050.00 lakhs) was due to less requirement from implementing agencies.

(d) "Establishment of Agricultural Clinic/ Agricultural Business Centres"- saving of Rs.2650.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(e) "Strengthening/Promoting Agricultural Information System"- saving of Rs.298.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs); and

(च) ''कृषि संसाधन सूचना प्रणाली''- 250.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम के नए संघटकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2425'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद''- 1010.00 लाख रु. की बचत (2125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारी कताई मिलों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता''- 850.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं - एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 189.18 लाख रु. की बचत (1024.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - तेल पाम विकास कार्यक्रम''- 310.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांगें प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन''- 253.87 लाख रु. की बचत (3230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने की वजह से कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(f) "Agricultural Resources Information System (AGRIS)"- saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of new components of the scheme.

(IV) Under Major Head "2425"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Training- National Council for Co-operative Training" - saving of Rs.1010.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2125.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(B) "Assistance to other Co-operatives - Assistance to N.C.D.C. for Cooperative Spinning Mills" - saving of Rs.850.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies.

(V) Under Major Head "2435"-"Marketing and Quality Control-Grading and Quality Facilities - Strengthening of Agmark Grading Facilities" - saving of Rs.189.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1024.90 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(VI) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Crop Husbandry - Commercial Crops-Oil Palm Development Programme" - saving of Rs.310.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to less demands from State Governments.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry - Commercial Crops - Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton"- saving of Rs.253.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3230.00 lakhs) was due to less requirement owing to availability of unspent balance of previous year with the State Governments.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य कृषि कार्यक्रम - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण'' के अंतर्गत 160.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांडिचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(VIII) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत 769.66 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (40238.60 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2401'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2004 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि विस्तार का जन प्रचार माध्यम सहायता''- 643.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 640.90 लाख रु. था।

(खा) ''फसल बीमा''-

(क) ''राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू करने के लिए जीआईसी को अदायगी''- 32293.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 32292.80 लाख रु. था।

(ख) ''फार्म आय बीमा परियोजना''- 5599.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5598.00 लाख रु. था।

(गा) ''दालों का विकास - एनएससी/एसएफसीआई/कृभको को दालों के प्रमाणीकृत बीजों पर आर्थिक सहायता''- 290.90 लाख रु.।

(घा) ''तिलहनों का विकास - तिलहनों के मामले में कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास''- 134.90 लाख रु.।

(ङ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें''-

(VII) Under Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Other Agricultural Programme - Supplementation/ Complementation of States effort through Work Plan (Macro Management)"- saving of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the Union Territory Governments of Pondicherry and Delhi.

(VIII) Under eleven heads savings of Rs.769.66 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.40238.60 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in February, 2004 under Major Head "2401" - under the following heads:-

(A) "Extension and Farmers Training - Mass Media Support to Agricultural Extension" - Rs.643.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.640.90 lakhs.

(B) "Crop Insurance"-

(a) "Payment to GIC for Implementation of National Agricultural Insurance Schemes (NAIS)" - Rs.32293.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.32292.80 lakhs.

(b) "Farm Income Insurance Project (FIIP)" - Rs.5599.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5598.00 lakhs.

(C) "Development of Pulses - Subsidy on Certified Seeds of Pulses to NSC/SFCI/KRIBCO" - Rs.290.90 lakhs.

(D) "Development of Oil Seeds - Research and Development of Post Harvest Technology in Oil Seeds" - Rs.134.90 lakhs.

(E) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(क) ''आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का एकीकृत विकास''- 99.90 लाख रु.।

(ख) ''बागवानी के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन''- 1177.90 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' - ''बागवानी और वनस्पति फसलें - पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी पर एकीकृत विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन''- 9239.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1422.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - कृषि के क्षेत्र में महिलाएं''- 152.22 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(i) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण''- 1831.69 लाख रु. का अधिक व्यय (48720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी- कृषि सांख्यिकी का सुधार''- 2171.98 लाख रु. का अधिक व्यय (15.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का अंतरण मुख्य शीर्ष ''2401'' से किए जाने के कारण हुआ क्योंकि केन्द्रीय रूप से प्रायोजित संघटक मुख्य शीर्ष '' 2401'' के अंतर्गत उपलब्ध नहीं थे।

(iii) ''फसल कृषि कर्म - दालों का विकास - दालों का विकास''- 299.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1396.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(a) "Integrated Development of Horticulture in Tribal/Hilly Areas" - Rs.99.90 lakhs.

(b) "Technology Mission for Development of Horticulture"- Rs.1177.90 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2401" - "Horticulture and Vegetable Crops - Technology Mission on Integrated Development on Horticulture in North - Eastern Region"- excess of Rs.9239.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1422.00 lakhs);

(B) Major Head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Crop Husbandry - Extension and Farmers Training -Women in Agriculture" - excess of Rs.152.22 lakhs (against nil provision); and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(i) "Crop Husbandry - Other Grants - Supplementation/Complementation of States Efforts Through Work Plan (Macro Management)" - excess of Rs.1831.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.48720.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to meeting the requirements of North Eastern States.

(ii) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics - Improvement of Agricultural Statistics"- excess of Rs.2171.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15.00 lakhs) was due to transfer of funds from Major Head "2401" as centrally sponsored components were not available under Major Head "2401".

(iii) "Crop Husbandry - Development of Pulses - Development of Pulses" - excess of Rs.299.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1396.00 lakhs) was due to

में) महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

meeting the additional requirement from State Governments of Maharashtra, Haryana, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh.

(iv) ''फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - तिलहन उत्पादन कार्यक्रम''- 995.94 लाख रु. का अधिक व्यय (5870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किए जाने और हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों से अधिक आवश्यकताएं प्राप्त होने के कारण हुआ।

(iv) "Crop Husbandry - Development of Oil Seeds- Oil Seeds Production Programme" - excess of Rs.995.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5870.00 lakhs) was due to meeting a commitment of State Government of Andhra Pradesh and more requirements from State Governments of Haryana, Orissa, West Bengal, Karnataka, Madhya Pradesh and North Eastern States.

(III) उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 316.82 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक था।

(III) Under four heads excess of Rs.316.82 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचत (*55596.25 लाख रु.)* अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए *60719.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* का 92 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 75 प्रतिशत थी।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*Rs.55596.25 lakhs*) constituted 92 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.60719.00 lakhs* obtained in August, 2003 and 75 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	*O.*	*1040.00*			
पु.	*R.*	*–1040.00*	. .	. .	. .

				कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम (प्रभारित)	*Loans and Advances to State Governments (Charged)*				
मू.	*O.*	*12180.00*			
पू.	*S.*	*60719.00*	*18406.88*	*18342.75*	*–64.13*
पु.	*R.*	*–54492.12*			

(I) *1040.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "4552"- *"अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"* के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित शीर्षों से पूरा किए जाने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.1040.00 lakhs* remained wholly unutlised in one case under Major Head "4552" - *"Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim"* - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned heads.

(II) मुख्य शीर्ष "7601" - *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गन्ना उत्पादकों को उनकी देयताओं के अंतर्गत अदायगी के लिए कर्ज"* के अंतर्गत *60719.00 लाख रु.* की निधियां पूरक *विनियोग* प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, जो तथापि, *54279.12 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं; और

(II) Under Major Head "7601" - *"Loans for Non-Plan Schemes - Crop Husbandry - Commercial Crops - Loans for payment to Sugarcane Growers against their dues"* - funds of *Rs.60719.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.54279.12 lakhs*; and

(III) *"केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसल कृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्य प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण"*- *277.13 लाख रु.* की बचत (*12180.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

(III) *"Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Loans - Supplementation/Complementation of States Efforts through Work Plan (Macro-Management)"* - saving of *Rs.277.13 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.12180.00 lakhs*).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें शर्तों और निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने की वजह से राज्य सरकारों को कम कर्ज जारी किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to less release of loans to State Governments owing to non-furnishing of proposals as per terms and conditions.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	956.00	999.80	611.17	–388.63
पु.	R.	43.80			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	540.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–540.00			
मुख्य शीर्ष "6425" सहकारिता के लिए कर्ज	Major Head "6425" Loans for Co-operation				
मू.	O.	10000.00	7655.67	7655.67	. .
पु.	R.	–2344.33			

(I) 567.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 540.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित शीर्षों से पूरा किए जाने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.567.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.540.00 lakhs alone was under Major Head "4552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern region and Sikkim from the concerned heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4401'' - "वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' के अंतर्गत 138.71 लाख रु. की बचत (224.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों को देर से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "6425'' - "ऋण सहकारिताओं को कर्ज - भूमि विकास बैंक के लिए कर्ज'' के अंतर्गत 2344.33 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत 241.78 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक थीं।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4401'' - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 153.42 लाख रु. का अधिक व्यय (145.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "4401"- "Plant Protection- Strengthening and Modernisation of plant quarantine facilities"- saving of Rs.138.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.224.00 lakhs) was due to late finalisation of proposals under the scheme.

(III) Under Major Head "6425"-"Loans to Credit Co-operatives - Loans for Land Development Bank" - saving of Rs.2344.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to less demands from implementing agencies.

(IV) Under three heads savings of Rs.241.78 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 55 percent to 86 percent of the sanctioned provision.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4401" - "Other Expenditure - National Agricultural Technology Project (NATP)" - excess of Rs.153.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.145.00 lakhs) was due to additional requirements of funds from Central Public Works Department.